न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– रामसुख गुर्जर आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या 20/2008 (2008/00098)

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

वादीगण

1. भोपालसिंह पुत्र केशर सिंह
2. श्रीमती तेजकंवर पुत्री केसर सिंहं निवासी ग्राम रसाल तहसील कुचामनसिटी सिटी जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. भागीरथ सिंह पुत्र केशर सिंह
2. रूप सिंह पुत्र केशर सिंह
3. नन्द सिंह पुत्र भैरूसिंह
4. फतेह सिंह पुत्र मूनसिंह
5. अर्जुनसिंह पुत्र मूनसिंह
6. जयसिंह पुत्र मूनसिंह
7. मु0 संतोष कंवर पुत्री जमनसिहं
8. मु0 सरोज कंवर पुत्री जमनसिंह
   कोम राजपूत निवासी ग्राम रसाल तहसील कुचामनसिटी सिटी जिला नागौर।
9. राजस्थान सरकार जरीये प्रतिनिधि तहसीलदार जी (भूमिधारी), कुचामनसिटी
10. केसर देवी पत्नी देवाराम जाट
11. झमरी देवी पत्नी श्री परसाराम जाट निवासीयान लिखमासर तहसील कुचामनसिटी।

वाद वास्ते इस्तकरार हक व रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज. का. अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री पुष्पेन्द्र सिंह अधिवक्ता वादी की ओर से
श्री अशोकपुरी अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1 व 2
श्री मो0 हनीफ अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 10 व 11

निर्णय

दिनांकः 19/04/2018

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 8 एक ही एक ही खानदान के सदस्यगण है। वादीगण सं0 1 व 2 एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 आपस में सगे भाई बहिन है। सजरा खानदान निम्न प्रकार से है:–

पाबुदान सिंह (फौत)

1. लाडकंवर (फौत)
   1) भैरूसिंह (फौत)
      I. नंदसिंह (प्रतिवादी संख्या 3)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

II. थानसिंह (फौत)
a) सज्जनकंवर
2) दौलतसिंह (फौत)
I. हरेन्द्रसिंह (इनको पांचोता जागीरदारी मिल जाने से वहां से चले गये)
3) मुनसिंह (फौत)
I. फतेहसिंह (प्रतिवादी संख्या 4)
II. अर्जुनसिंह (प्रतिवादी संख्या 5)
III. जयसिंह (प्रतिवादी संख्या 6)
4) केसरसिंह (फौत)
I. भोपालसिंह (वादी संख्या 1)
II. मु0 तेजकंवर (वादी संख्या 2)
III. भागीरथसिंह (प्रतिवादी संख्या 1)
IV. रूपसिंह (प्रतिवादी संख्या 2)
5) जमनसिंह (फौत)
I. शरबलकंवर (फौत)
a) सरोज कंवर (प्रतिवादी संख्या 8)
b) संतोष कंवर (प्रतिवादी संख्या 7)

मौजा रसाल पटवार क्षेत्र रसाल तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 243 रकबा 16 बीघा 1 बीस्वा किस्म बारानी प्रथम, जिनके भूप्रबन्ध पैमाईस में नये खसरा नम्बर 824 रकबा 2.60 है0 कायम किये गये है/आई हुई है। नकल जमाबंदी संवत 2051 से 2054 तक एवं प्रमाण पत्र खसरा मिलान क्षेत्रफल बतौर सबूत में दावा के साथ प्रस्तुत है।

मौजा ग्राम रसाल पटवार क्षेत्र रसाल की सरहद में स्थित आराजी कृषि भूमि पुराने खसरा नम्बर 243 की 16 बीघा 1 बीस्वा भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिनका बंटवारा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 के स्व0 पितागण व वादीगण द्वारा आपसी सहमति से वर वक्त जागीर से के समय ही दिनांक 31.05.48 को मौके पर कर लिया गया था।

माफिक पारिवारिक बंटवारे अनुसार मौजा ग्राम रसाल की सरहद में स्थित भूमि पुराने खसरा नम्बर 243 की 16 बीघा 1 बीस्वा सम्पूर्ण कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की दादी स्व0 लाड़कंवर के खुद काश्त में चली आती रही है और उनकी मृत्यु के बाद सम्पूर्ण कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पिता स्व0 केसरसिंह के कब्जेकाश्त में रही है। इस कृषि भूमि पर कभी भी किसी प्रकार से प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 8 को कोई कब्जाकाश्त नहीं रहा है।

वर वक्त मारवाड़ काश्तकारी अधिनियम एवं वर वक्त लागु होने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से ही उपरोक्त पुराने खसरा 243 नये खसरा नम्बर 824 की सम्पूर्ण 16 बीघा

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

1 बीस्वा (2.60 है0) कृषि भूमि पर पुर्व में वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 2 की स्व0 दादी लाड कंवर का एक उनकी मृत्यु के बाद वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का बहिस्सा बराबर बराबर बहैसियत वारिसान कब्जाकाश्त चला आ रहा है। इसी प्रकार से उक्त आराजी कृषि भूमि की खसरा गिरदावरी वारिसान कब्जाकाश्त चला आ रहा है इसलिए उपरोक्त खसरा नम्बर 824 की सम्पूर्ण कृषि भूमि के वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के कानूनी अधिकारी है।

वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पिता केसरसिंह पुत्र पाबुदान सिंह राजपुत निवासी ग्राम रसाल की दिनांक 08.08.1997 की मृत्यु हो चुकी है।

अभी दिनांक 30.06.1998 को वादीगण द्वारा पटवारी हल्का से उपरोक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 824 की जमाबंदी प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर जानकारी हुई की उक्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 6 के प्रतिवादी संख्या 7 ता 8 के पिता स्व0 जमनसिंह एवं स्व0 सज्जनकंवर के नाम गलती से खातेदारी में के स्थान पर ना0 सं0 174 दिनांक 01.08.1997 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अकेले के नाम ही पटवारी हल्का ने वसीयत`क आधार पर इन्द्राज कर दिये है और वादीगण के नाम खातेदारी में इन्द्राज नहीं किये है। जबकि पैतृक कृषि भूमि कानुनन कोई वसीयत नहीं हो सकती है और उसके आधार पर किसी भी व्यक्ति को कानूनन कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। इसलिए वादीगण उक्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती करवाने के कानूनन मुश्तहक है।

इस पर वादीगण ने पटवारी हल्का को दिनांक 01.07.1998 को उक्त आराजी खसरा नम्बर 824 के राजस्व रेकर्ड में से प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 प्रतिवादी संख्या 7 ता 8 के स्व0 पिता जमनसिंह एवं स्व0 सज्जनसिंह के नाम हटाकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 साथ वादीगण के नाम भी खातेदारी में इन्द्राज कर रेकर्ड में दुरूस्ती करने को कहां तो उसने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया इसलिए वादीगण अपने अधिकारों की सुरक्षार्थ वर्तमान वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

उक्त आराजी के खातेदार जयनसिह पुत्र पाबुदान सिंह जाति राजपूत निवासी रसाल के फौत होने से उनकी वारिसान पुत्रीयों को प्रतिवादीगण सं0 7 व 8 एवं खातेदार सज्जनसिंह बेवा थानसिंह के फौत हो जाने से उनके एक मात्र वारिस प्रतिवादीगण सं0 3 की और राज0 सरकार भुमिधारी तहसीलदार जी होने से प्रतिनिधि तहसीलदार नावां को प्रतिवादीगण सं0 9 आवश्यक पक्षकार प्रतिवादीगण बनाया गया है।

प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 ने उक्त मुकदमें दौरान दिनांक 29.06.2007 को विवादित कृषि भुमि खसरा नं0 824 रकबा 2.60 है0 सम्पूर्ण कृषि भूमि को श्रीमती केसर देवी एवं श्रीमती झमरी देवी को जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा के विक्रय कर दी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा निष्पादित बेचाननामा दिनांक 29.06.2007 वादी के हितों पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है। तथा कानूनन धारा 52 टीपी एक्ट के तहत प्रतिवादीगण द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

निष्पादन बेचाननामा दिनांक 29.06.2007 वादी के अधिकारों पर बेअसल होने से अवैध व शुन्य करार दिया जाना आवश्यक है।

बिनाय दावा अभी दिनांक 30.06.1998 को उक्त खसरा नं0 824 की जमाबंदी को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर वादीगण के नाम खातेदारी में इन्द्राज नहीं होने की जानकारी होने पर एवं दिनांक 01.07.1998 को पटवारी हल्का द्वारा उक्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में से अन्य खातेदारान के नाम हटाकर प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के साथ वादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज रेकर्ड में दुरूस्ती करने से मना करने पर बमुकाम ग्राम रसाल अन्दर हद हदुद समायत अदालत वाला के उत्पन्न हुआ है।

वादीगण की इस्तदुआ निम्नवत है:-
मौजा ग्राम रसाल पटवार क्षेत्र रसाल तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित भुमि खसरा नं0 824 रकबा 2.60 है0 सम्पूर्ण कृषि भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 का बहिस्सा बराबर बराबर खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर वादीगण के नाम प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के साथ रेकर्ड में इन्द्राज कर एव्र प्रतिवादी सं0 3 ता 6 व प्रतिवादीगण सं0 7 व 8 के स्व0 पिता जमनसिंह एवं स्व0 सज्जन कंवर के नाम खातेदारी में से हटाये जाकर इसी प्रकार से रेकर्ड में दुरूस्ती करने के आदेश प्रतिवादी सं0 9 एवं उसके ऐजेन्ट पटवारी हल्का को फरमाया जावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 12.05.1999 को प्रतिवादी सं0 1 की ओर से वकील श्री महावीर प्रसाद जी उपस्थित। दिनांक 23.07.1999 को प्रतिवादी सं0 1 व 2 की ओर से वकील श्री महावीर प्रसाद ने वकालातनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 6 की ओर से वकालतनामा पेश करने हेतु समय चाहा। प्रतिवादी सं0 4, 5, 7 व 8 बावजूद समन तामिल होने पर भी गैरहाजीर होने से इकतरफा की हुई है। दिनांक 22.09.1999 को प्रतिवादी सं0 6 की ओर से वकालतनामा पेश नहीं करने पर इकतरफा की गई। प्रतिवादी सं0 3 की ओर से वकील श्री बृजपाल सिंह ने जबाब व वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 1 व 2 की ओर से जबाब पेश हुआ, शामिल मिसल है। दिनांक 22.10.1999 को मौका कमिश्नर रिपोर्ट पेश होने पर दिनांक 14.03.2000 को मौका कमिश्नर नियुक्त कर रिपोर्ट मंगाई गई। दिनांक 25.04.2000 को रिपोर्ट प्राप्त, शामिल मिसल है। दिनांक 24.05.2000 को प्रतिवादी का वकालतनामा वकील श्री नाथूराम जी ने पेश किया। दिनांक 27.11.2001 को वकील वादी अनुपस्थित होने पर वाद अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारीज किया गया। दिनांक 06.08.2002 को वाद पुनः बरामद की प्रार्थना पत्र पर पुनः दर्ज कर सुनवाई की गई। दिनांक 23.04.2003 को तनकी कायम कर शामिल मिसल की गई। दिनांक 29.09.2005 को वकील वादी ने शहादत में गवाह फतेह सिंह व अर्जुनसिंह कि बयान करवायें, शामिल मिसल है। दिनांक 18.07.2007 को आदेश 6 नियम 17 सीपीसी की पेश हुई। दिनांक 29.09.2007 को दिनांक 18.07.2007 की प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 पर बहस सुनकर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर शामिल मिसल है। प्रतिवादी सं0 10 व 11 की ओर से वकील

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

श्री नाथूराम गुर्जर ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 08.12.2009 को प्रतिवादी सं0 10 व 11 की ओर से जबाब दावा शामिल मिसल है। दिनांक 28.01.2011 को संशोधित तनकी कायम कर शामिल मिसल है। दिनांक 07.06.2011 को साक्ष्यवादी में भोपालसिंह का शपथ पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र आदेश 11 नियम 12 व 14 सीपीसी शामिल मिसल है। दिनांक 02.08.2011 को आदेश 13 नियम 9 सीपीसी बहस सुनकर शामिल मिसल की गई। दिनांक 23.10.2012 को प्रार्थना पत्र आदेश 11 नियम 12 की बहस सुनाई दिनांक 09.11.2012 को शपथ पत्र पेश किया, नकल वकील वादी को दिलाई गई एवं प्रार्थना पत्र आदेश 11 नियम 12 खारीज की गई। दिनांक 20.11.2014 को प्रतिवादी सं0 1 की ओर से वकील श्री श्यामसुन्दर ने वकालतनामा पेश किया एवं दिनांक 25.11.2014 को वकील श्री अशोकपुरी ने वकालतनामा पेश किया। वकील प्रतिवादी ने आदेश 8 नियम 1 (3 क) पेश करने पर दिनांक 03.12.2014 को बहस सुनकर स्वीकार कर शामिल मिसल की गई। दिनांक 12.12.2014 को प्रतिवादी भोपालसिंह का शपथ पत्र पेश किया, शामिल मिसल है। दिनांक 12.01.2016 को गवाह हेतु अंतिम समय दिया गया। दिनांक 12.02.2016 को प्रतिवादी की ओर से गवाह मांगू सिंह, हीराराम, देवाराम के शपथ पत्र शामिल मिसल है। देवाराम से जिरह की गई। दिनांक 02.03.2016 को गवाह हीराराम से जिरह की गई। दिनांक 16.03.2016 को गवाह प्रतिवादी पूर्णमल नारायणराम के शपथ पत्र प्रस्तुत शामिल मिसल है। दिनांक 30.06.2016 को वकील वादी द्वारा आदेश 16 नियम 1 (2) व सपठित धारा 151 सीपीसी पेश की। दिनांक 13.04.2016 को वकुलाय ने बहस सुनाई, प्रार्थना पत्र स्वीकार कर शामिल मिसल की गई, गवाह पेश करने हेतु अंतिम समय दिया गया। दिनांक 24.08.2016 को गवाह जगदीश सिंह व केसरदेवी उपस्थित, जिरह की गई, गवाह समय बंद कर मिसल वास्ते बहस रही।

वकुलाय ने लिखित व मौखिक बहस सुनाते हुये रूलिग्स पेश की, वकील वादी ने अपनी बहस में वादपत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया की वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ता 8 एक ही खानदान के सदस्य है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 आपस में सगे भाई बहन है। ग्राम रसाल में गत खसरा नम्बर 243 रकबा 16 बीघा 1 बीस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 824 रकबा 2.60 है0 कायम हुये जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक भूमि है। जिसका बंटवारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 8 आपसी सहमति से दिनांक 31.05.1948 को मौके पर कर लिया था। उक्त भूमि की वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। वादीगण का पिता केशर सिंह जी की मृत्यु दिनांक 08.08.1997 को हो चुकी है। दिनांक 30.06.1998 को वादीगण द्वारा पटवारी हल्का से खसरा नं0 824 की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने पर जानकारी हुई की उक्त आराजी राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी सं0 3 ता 8 के पिता स्व0 जमनसिंह एवं स्व0 सज्जन कंवर के नाम गलती से खातेदारी में आने के स्थान पर नामान्तकरण सं0 174 दिनांक 01.08.1997 के द्वारा प्रतिवादी सं0 1 व 2 अकेले के नाम ही पटवारी हल्का ने वसीयत आधार पर इन्द्राज कर दिया और वादीगण का नाम इन्द्राज नही किया जबकि पैतृक कृषि भूमि की कानूनन कोई वसीयत नहीं हो सकती इसलिए वादीगण उक्त आराजी को राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त कराने के कानूनन मुस्तक है।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागोर)

प्रतिवादीगण ने गलत जबाब पेश किया है सजरा खानदान के मुताबिक वादी पैतृक सम्पति का 1/4 हिस्से का हकदार है। वाद में तनकीयात कायम की हुई है एवं अतिरिक्त तनकी बनाई हुई है। तनकी संख्या 1 ता 5 व संशोधित तनकी वादीगण को साबित करनी है तथा तनकी संख्या 6 ता 8 प्रतिवादीगण को साबित करनी है। तनकी पर न्यायालय में परीक्षित कराये गये संलग्न गवाह के शपथ पत्र एवं गवाह वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श 1 लगायत 17 से ग्राम रसाल में वादीगण की दादी स्वर्गीय लाड़ कवंर की खुद काश्त की भूमि रही है जो इन्हें गुजारे के रूप में (भरण पोषण) मिली थी। उक्त भूमि जागीरदार स्व0 पाबुदान सिंह जी की थी जो उन्हे गुजारे के लिये दी गई थी। जागीर रिज्यूम होने पर लाड़ कंवर उक्त भूमि की एक्ट 1952 की घारा 10 के तहत खुदकाश्त होल्डर हो गई तथा आरटीएक्ट 1955 के प्रभाव में आने पर व धारा 13 के तहत खातेदार काश्तकार हो गई। जमाबंदी 2010–13 में उक्त वादग्रस्त भूमि गुजारेदार खुद काश्त लाड कंवर की दर्ज रही एंव पाबुदानसिंह जी ग्राम रसाल के छुट भाई जागीरदार थे तथा उनकी मृत्यु के बाद 31.05.1948 को उनकी जागीर की भूमि बंटवारा कर अपनी सहुलियत के हिसाब से कर लिया। वादग्रस्त भूमि पुराने खसरा नं0 243 ठाकुर केशर सिंह जी के हिस्से में रखे गई। केशरसिंह जी लाड कंवर के पास ही रह रहे थे तथा बाह जोत कर रहे थे इसलिए उक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 की पैतृक सम्पति रही है। जिसमें वादी सं0 1 का 1/4 व वादी सं0 2 का 1/4 हिस्सा है। इसलिए तनकी 1 लगायत 5 व अतिरिक्त तनकी को अपनी मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य व गवाहन की साक्ष्य व प्रतिवादी तथा उनके गवाहन से कि गई जिरह द्वारा पूर्णतया साबित किया गया है। तनकी नं0 6 वादग्रस्त खसरा नं0 243 की भूमि वादीगण की दादी लाडकंवर की जागीर की गुजारेदार खुदकाश्त भूमि रही है। जो 1948 के बंटवारे में केशर सिंह जी को प्राप्त हुई। उक्त भूमि संयुक्त कुटुंब की पैतृक भूमि रही है। पैतृक भूमि पर एक का कब्जा सब का कब्जा माना जाता है। इसलिए वादीगण उक्त भूमि के काबिज खोतदार काश्तकार जन्म से है जिसका वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के साथ समान हक हिस्सा है। तनकी नं0 7 को सिद्व करने का भार प्रतिवादी सं0 1 व 2 पर है जो सिद्व करने में नाकाम है। तनकी नं0 7 कानूनी है तथा टिनेन्सी एक्ट के घोषणा के वाद में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तनकी नं0 8 साबित करने का भार प्रतिवादी सं0 1 व 2 पर था। केशरसिंह जी द्वारा प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में की गई वसीयत कानूनन अवैध व शुन्य है जो वादीगण के हक अधिकारों पर प्रभाव नहीं डालती है। प्रतिवादीगण अपने जबाब दावे में भोपाल सिंह को ठाकुर जसवंत सिंह जी के गोद जाने के अभिवचन किये है लेकिन इस संबंध में न्यायालय द्वारा कोई विवाधक तय नहीं की गई है। प्रतिवादी सं0 1 व 2 द्वारा भोपालसिंह के गोद जाने संबंधि दस्तावेज साक्ष्य पेश नहीं किये है इस प्रकार प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 भोपालसिंह वादी सं0 1 के गोद के तथ्यों को मौखिक व दस्तावेज साक्ष्य से साबित करने में असफल रहे है। इसके संबंध में आरआरटी 2016 (i) पेज सं0 377 की रूलिंग पेश कर निवेदन किया की वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र व उसके विरचित विवाधकों को

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

पूर्णतया मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित किया है इसलिए वादीगण का वाद पत्र विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री फरमाये जाकर वादीगण को उक्त अराजीयात में 1/4, 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे तथा प्रतिवादीगण सं0 3 ता 11 का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जावें। इस आशय की डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावें।

वकील प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व 10, 11 ने लिखित बहस एवं मौखिक बहस सुनाते हुए मय रूलिंग्स के वाद पत्र में अंकित तथ्यों को नकार कर जबाब के तथ्यों को स्वीकारते हुए बहस में कथन किया की वाद में तनकी कायमी 1 ता 8 व अतिरिक्त तनकी कायमी के संबंध में तनकी सं0 1 ता 5 व अतिरिक्त तनकी को सिद्व करना वादी पर है वाद के संलग्न वसीयत एवं राजपूत समाज की बुक व प्रदर्श दस्तावेजात से भोपाल सिंह जी के पिता ने स्वयं ने अपनी वसीयत में दिनांक 06.01.1997 को बता रहे है कि भोपाल सिंह ठाकुर जसवंत सिंह के गोद चला गया है। राजपूत गौरव बुक में वादी के पुत्र दिलिप सिंह ने अपने पिता का नाम भोपालसिंह व दादा का नाम ठाकुर जसवंत सिंह छपाया है। जो बुक के पेज सं0 114 पर है। जब वादी ठाकुर जसवंत सिंह जी के गोद चला गया है, उक्त वसीयत में वादी के पिता ने स्वयं ने बताया है जो गोद की अनुमति देने के अधिकारी है। उक्त वसीयत को किसी भी संबंधित न्यायालय में चुनौति नहीं दी है। वो आज दिन भी मौजुद है। इसलिए वादी पैतृक सम्पति पर हक हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। उक्त आराजीयात के संबंध में एसडीएम कोर्ट नावां में वाद दिनांक 10.09.2004 को खारिज हो गया था जिसकी अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी नागौर में अपील करने पर अपील सं0 155 स्वीकार कर डिक्री किया गया। डिक्री की पालना में ग्राम रसाल के खसरा सं0 824 रकबा 2.60 है0 का प्रतिवादी सं0 1 व 2 को खातेदार घोषित किया है। उक्त डिक्री की अपील आज दिनांक तक नहीं हुई है। इससे न तो उक्त आराजी वादी की पैतृक है और न ही वादी केशर सिंह जी की सम्पति पर पैतृक होने का हकदार है। तनकी सं0 6 ता 8 प्रतिवादीगण 1 ता 2 के पक्ष में बखुबी साबित है और उक्त आराजी प्रतिवादीगण ने जरीये वाद संबंधित न्यायालय में दायर कर डिक्री से प्राप्त की है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में वादी स्वंय एवं तेजकंवर को वादी पक्षकार वाद पेश किया हुआ है लेकिन वादी तेजकंवर का वाद पत्र पर कहीं भी हस्ताक्षर नहीं है। वादी ठाकुर जसवंत सिंह जी के गोद चले जाना राजपूत गौरव पुस्तक व वसीयत से व गवाहों से जाहिर है एवं उक्त वसीयत की किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौति नहीं दी है आज दिन भी मान्य है इसलिए वादी अपने वाद पत्र में तनकी नं0 1 ता 5 एवं अतिरिक्त तनकी को साबित करने में पूर्णतया असमर्थ रहे है अतः वादीगण का वाद किसी भी प्रकार से साबित नहीं करने पर वादी का वाद खर्च सहित खारिज फरमावें।

वकुलाय की लिखित एवं मौखिक बहस प्रस्तुत रूलिग्स वादी का वाद पत्र, वाद पत्र के संलग्न जबाब, वाद पत्र में कायमी तनकी, गवाहों के शपथ पत्र, वसीयत, राजपूत गौरव बुक, प्रदर्श दस्तावेजात, माननीय न्यायालय की डिक्री एवं वाद में तनकी पर की गई बिरचना आदि का अवलोकन व ध्यानपूर्वक मनन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

पहुचां है कि वादी के वाद पत्र में वादी सं0 1 के ही हस्ताक्षर है वादी सं0 2 के कहीं भी हस्ताक्षर नहीं है। वाद में अंकित उक्त विवादित आराजी सक्षम न्यायालय से डिक्री होने पर खातेदारी प्राप्त की है जिसकी वादी ने कही भी अपील नहीं की है। वादी के पिता केशर सिह जी ने अपनी वसीयत में वादी भोपालसिह को ठाकुर जसवंत सिंह जी के गोद जाना बताया है। उक्त वसीयत 06.01.1997 को पंजीयन की हुई है। जिसकी चुनौति किसी भी सक्षम न्यायालय में नहीं की गई है। उक्त वसीयत आज भी मान्य है एवं गवाहों के अवलोकन से वादी ग्राम रसाल में नहीं रहते है न ही उक्त आराजी में किसी भी भाग पर कब्जाकाश्त रही है। उक्त विवेचन से वादी अपने वाद में अंकित तनकी सं0 1 ता 5 व अतिरिक्त तनकी को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। इसलिए न्यायालय का मत है कि उक्त विविचनों से वादी का वाद खारीज योग्य होने से निम्न प्रकार निर्णय पारित किया जाता है।

आदेश

ग्राम रसाल के खसरा नं0 824 रकबा 2.60 है0 में वादी द्वारा वाद को साबित करने में असफल रहने पर वादी का वाद मुकदमा नम्बर 20/08 खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो।

निर्णय आज दिनॉक 19/04/2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(समसुख गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)